खुलासा

4 आरोपियों को हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रेम संबंध के चलते भाई ने ही भाई की कर दी थी हत्या

शहडोल, नवभारत। बीती 28 सितम्बर को थाना देवलोंद क्षेत्रांतर्गत में फरियादिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका बड़ा बेटा बृजेन्द्र बैगा अपने खेत स्थित घर में मृत अवस्था में पाया गया है। सूचना पर थाना देवलोंद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु को हत्या बताया गया। जिस पर देवलोंद पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जांच के दौरान संदेही नरेन्द्र बैगा, मृतक का भाई, हैदराबाद से घटना के कुछ दिन पूर्व गांव आने की जानकारी मिली। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नरेन्द्र बैगा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने भाई बृजेन्द्र बैगा की हत्या करना स्वीकार किया।

टांगी, डंडा एवं लोढ़ा से दिया वारदात को अंजाम

आरोपी नरेन्द्र बैगा ने बताया कि उसका अपनी भाभी प्यारी बैगा (मृतक की पत्नी) से प्रेम संबंध था। मृतक को इस बात की जानकारी होने पर वह पत्नी से झगड़ा करने लगा था। जिस पर नरेन्द्र ने अपने भाई (बाल अपचारी), साथी आशीष बैगा, एवं प्यारी बैगा के साथ मिलकर बीते 25 सितम्बर को बृजेन्द्र बैगा की हत्या टांगी, डंडा और सिलबट्टे के लोढ़े से हमला कर पीड़ित की हत्या कारित कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गये थे जिन्हे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

ये हुए गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपीगण, नरेन्द्र बैगा, पिता स्व. जयकरण बैगा, उम्र 22 वर्ष, बाल अपचारी (भाई), आशीष बैगा, पिता जयलाल बैगा, उम्र 19 वर्ष, प्यारी बैगा, पति स्व. बृजेन्द्र बैगा, उम्र 25 वर्ष(सभी निवासी ग्राम करौंदिया, थाना देवलोंद, जिला शहडोल) उक्त प्रकरण में कार्यवाही एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी मुकेश अविद्रा के निर्देशन एवं थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुभाष दुबे के नेतृत्व में की गई। उक्त कार्यवाही में महेश झा, सुनीत मिश्रा, बिनोद तिवारी, आदित्य सिंह, जितेन्द्र मण्डलोई, अभिषेक तिवारी, चित्रांशु शुक्ला, महक कुशवाहा की अहम् भूमिका रही।

कांटों के झूले में बैठकर की मां वीरासन की आरती

कटनी। जिले के सिलौंडी के प्रसिद्ध देवी मंदिर मां वीरासन में ज्वारे और मां काली की प्रतिमा के विसर्जन को देखने पूरे जिले से भक्तो की भीड़ उमड़ गई। हर साल की तरह इस साल भी मां वीरासन देवी के पंडा सौरभ दुबे ने कांटों के झूले में बैठकर मां की आरती की। पूरे विधि विधान से मां वीरासन देवी का पूजन अर्चन कर ज्वारे और मां काली की प्रतिमा स्थापित का विसर्जन हुआ। मां वीरासन देवी मंदिर के पंडा सौरभ दुबे के दादा श्याम सुंदर दुबे (83) वर्ष ने 60 सालों तक मां वीरासन की दिन रात सेवा की । अब उनका पोता सौरभ दुबे (23) साल पिछले 5 सालों से लगातार मां वीरासन देवी की सेवा में लगे हुए हैं। मां वीरासन देवी के ज्वारे देखने हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए।

संस्कार केंद्र पैलवाह में मनाया गया शौर्य दिवस

गोहपारू । गोहपारू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैलवाह में भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम साहस और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। वे गोड़वाना राज्य की वीरांगना थी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती जनजातीय संस्कार केन्द्र पैलवाह संकुल गोहपारू जिला शहडोल में बनाया गया। कार्यक्रम में भैया बहनों,के साथ मातृशक्तिओ, संस्कार केन्द्र के आचार्य श्रवण कुमार यादव एवं सहयोगी रामखेलावन पनिका संकुल समन्वयक और सभी ग्रामवासी एवं बच्चों के साथ मना करके लोगों को सहयोग आदि उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का दुरूपयोग करने पर एफआईआर

▸ कुछ व्यक्तियों द्वारा पोर्टल का किया जा रहा दुरूपयोग

शहडोल। जनसेवा एवं नागरिक सहायता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा स्थापित सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना, शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाना तथा शासन-प्रशासन और जनता के बीच संवाद की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त करना है। यह व्यवस्था आम जनता की सुविधा और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किन्तु हाल ही में यह पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इस पोर्टल का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसी क्रम में शिकायतकर्ता रविशंकर यादव द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के प्रति अमर्यादित, अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही हेल्पलाइन कॉल सेंटर के कर्मचारियों से भी अनुचित एवं अशोभनीय टिप्पणियाँ की गईं।

जांच में दर्ज शिकायत निकली तथ्यहीन

पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा दर्ज की गई शिकायतें तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं भ्रामक थीं, जिनसे न केवल शासन-प्रशासन के कीमती समय एवं संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, बल्कि वास्तविक समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। यह आचरण शासन की जनहितकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और लोक व्यवस्था को भंग करने के प्रयास की श्रेणी में आता है।मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली शहडोल पुलिस द्वारा आरोपी रविशंकर यादव पिता स्व. बुद्धसेन यादव निवासी ग्राम सौता थाना ब्यौहारी, शहडोल के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त आरोपी सोशल मीडिया पर भी अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी करने का आदी है। शहडोल पुलिस आमजन से अपील करती है कि सी.एम. हेल्पलाइन जैसी नागरिक सहयोग पर आधारित व्यवस्था का सदुपयोग करें और अपनी वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु इस मंच का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, अभद्रता या झूठी शिकायतें न केवल कानूनी अपराध हैं बल्कि समाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।

विचारपुर 'मिनी ब्राज़ील' फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पहुंचे जर्मनी

▸ कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के निर्देशन में सीख रहे फुटबॉल की आधुनिक तकनीक

शहडोल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम विचारपुर की फुटबॉल टीम को 'मिनी ब्राज़ील' कहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। प्रधानमंत्री के उल्लेख के बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब एफसी इंगोल्स्टेड 4 क्लब ने विचारपुर के खिलाड़ियों और कोच को 4 से 12 अक्टूबर तक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया और शनिवार को ये युवा सितारे अपने सपनों की उड़ान भरते हुए जर्मनी पहुँचे, जहां उन्हें विश्वस्तरीय ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नई रणनीतियों का प्रशिक्षण मिलेगा।

खिलाड़ियों ने कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ और ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में क्लब का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने क्लब के स्पोर्ट्स सेंटर, जिम सेशन और अत्याधुनिक स्किल्स लैब एरीना का अवलोकन किया। यहाँ खिलाड़ियों ने पहली बार जर्मन फुटबॉल प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकों को करीब से देखा और क्लब के पेशेवर माहौल में खुद को तैयार करने की शुरुआत की।

खिलाड़ियों का प्रशिक्षण 12 अक्टूबर तक चलेगा

खिलाड़ियों का प्रशिक्षण 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान वे जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के निर्देशन में आधुनिक फुटबॉल तकनीक, फिटनेस, टीम रणनीति और टैक्टिकल गेम प्लानिंग की गहन ट्रेनिंग ले रहे हैं। खिलाड़ियों को गेंद नियंत्रण पासिंग, शूटिंग और रक्षात्मक व आक्रामक रणनीतियाँ सिखा रहे हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण में खिलाड़ियों की निर्णय क्षमता, टीमवर्क और मानसिक मजबूती पर भी जोर दिया जा रहा है।

विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के लिए विचारपुर से कुल पाँच खिलाड़ी और एक महिला प्रशिक्षक का चयन किया गया है। इनमें सुश्री लक्ष्मी सहीस (कोच), सानिया कुंडे,सुहानी कोल, प्रीतम कुमार,वीरेंद्र बैगा, मनीष घसिया है।

विभागीय सहयोग से बनी मजबूत नींव

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में खिलाड़ियों के चयन, प्रशिक्षण की व्यवस्था और यात्रा की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। विभाग ने खिलाड़ियों को जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराए जिससे उनकी तैयारी और प्रदर्शन को और बेहतर बनाया जा सके। प्रदेश सरकार के सहयोग और खिलाड़ियों की मेहनत से मध्यप्रदेश पूरे भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित करेगा।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सारंग ने दी शुभकामनाएं

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह अवसर मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनसे उम्मीद की कि वे अपने कौशल और समर्पण से देश और प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करें। विचारपुर की फुटबॉल टीम को यह पहचान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम में मिली थी। प्रधानमंत्री ने विचारपुर की खेल प्रतिभा का उल्लेख करते हुए इसे 'मिनी ब्राज़ील' की उपमा दी थी।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पत्थर बाजी मामले में पुलिस ने रखी जनता के सामने सच्चाई

▸ भ्रामक पूर्ण खबरों का पुलिस प्रशासन ने किया जोरदार खंडन

धनपुरी/शहडोल, नवभारत। तीन दिन पूर्व 3 अक्टूबर को केशवाही में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जाते समय तीन महिलाओं को एक पत्थर लगने से लाली वाली चोट (रेडनेस) की घटना पर कुछ समाचार पत्रों में त्रुटिपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

एक समाचार पत्र द्वारा दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर बरसाने व हालात बेकाबु होने संबंधी खबर प्रकाशित की गई साथ ही यह लेख किया कि घटना के अगले दिन जब लोगो के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया तब पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया इसके अतिरिक्त मस्जिद के पास पहुंचते ही जुलूस पर अचानक पत्थर बरसाने की खबर प्रकाशित की गई। जब लोग आक्रोशित हुए तब पुलिस द्वारा अश्रु गैस छोडने की खबर प्रकाशित की गई। इसी प्रकार एक समाचार पत्र द्वारा थाना प्रभारी को थप्पड़ मारने का समाचार प्रकाशित किया है जो भ्रामक है।

यह है घटना की असली सच्चाई

चौकी केशवाही अंतर्गत मुख्य कस्बा में नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड एंव स्कूल ग्राउंड में तीन बड़ी मूर्तियां रखी गई थीं जिनका विसर्जन 03/10/25 को नियत था, दोपहर करीबन 4 बजे जुलूस प्रारंभ हुआ जिसमें से चौकी केशवाही में नया बस स्टैंड एवं पुराना बस स्टैंड में रखी गई मूर्तियों का रुट रामजानकी मंदिर से मरखी देवी मंदिर तथा उसके बाद विसर्जन स्थल ग्राम जमुडी बांध जाना तय था, तभी शेष स्कूल ग्राऊंड में रखी गई मूर्ती का रुट केशवाही बाजार से मरखी देवी मंदिर होते हुए विसर्जन स्थल जमुडी बांध जाना तय था। नया बस स्टैंड एवं पुराने बस स्टैंड की मूर्ती रवाना होकर रामजानकी मंदिर से वापस मस्जिद चौराहा से होते हुए नया बस स्टैंड के पास से गुजर रही थी तथा उनके आगे स्कूल ग्राउंड की मूर्ती का जुलूस चल रहा था तीनों मूर्तियां एक साथ आगे-पीछे जुलूस में चल रही थीं। नया बस स्टैंड की मूर्ती के जुलूस मे डीजे के आगे काफी लोग नाच रहे थे जिसमें युवक और महिलाएं सभी थे। उसी समय करीबन 7 बजे नये बस स्टैंड की मूर्ती के जुलूस में साथ चल रही महिलाओं के उपर गांधी मार्केट के सामने कहीं से गुजर रही महिलाओं गौरी सिंह, बाबी सिंह एवं पूनम सोनी के उपर कहीं से ईट के टुकड़े गिरे जिससे गौरी सिंह के बांये पैर एड़ी के पास लगा, बाबी सिंह पीठ में तथा पूनम सोनी दाहिने आंख के नीचे लगा। इस बात की सूचना साथ चल रहे लोगों को हुई इसके बाद महिलाएं अपने घर चली गई और जुलूस अपने मार्ग मे आगे बढ़ गया। जब जुलूस मरखी देवी मंदिर के वापस लौट कर विसर्जन के लिए विसर्जन घाट चला गया इसके कुछ देर बाद करीबन रात 10 बजे धनराज शुक्ला, हर्ष सिंह एवं उनके 15-20 लोग चौकी आकर विसर्जन में पथराव होने की सूचना लेकर रिपोर्ट करने आये जिसके बाद घायल महिलाओं को बुलवाया गया और उनके पूछताछ की गई किसी भी घायल या साक्षी द्वारा यह बात नहीं बताई गई कि किसके द्वारा पत्थर फेंका गया था।

जिसके बाद घायल महिलाओं को मेडिकल कराया गया एवं अपराध पंजीबद्ध किया गया। अगली सुबह करीबन 9 बजे धनराज शुक्ला और हर्ष सिंह अपने साथियों के साथ आस पास गांव के लोग इक्ट्ठा होकर विसर्जन जुलूस में हुए पथराव के विरोध में केशवाही बाजार बंद कराने लगे स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। जिसके पश्चात थाना प्रभारी बुढ़ार एवं एसडीओपी धनपुरी द्वारा मौके पर उपस्थित आये और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, इसी दौरान भीड़ द्वारा मांग की गई कि केशवाही के जुलूस में हुई पत्थर बाजी की घटना के आरोपीगणों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए एवं एक मुस्लिम लड़के इदरिस मंसूरी द्वारा भगवान राम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए। जिसके पश्चात भीड़ का नेतृत्व कर रहे कुछ लोग चौकी रिपोर्ट करने आये और भीड बाजार से तितर बितर होने लगीख इसके बाद इदरिस मंसूरी निवासी केशवाही के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपीगणों को अभिरक्षा में लिया गया। इसी दौरान कुछ अन्य लोग पुन: इकट्ठा होकर केशवाही मस्जिद के पास नारे बाजी और चका जाम करने लगे सूचना मिलते ही तत्काल बल मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित कर रहा था अधिकारियों द्वारा भीड़ से शांति बनाये रखने की हिदायत दी जा रही थी किंतु भीड़ में कुछ लोग शराब के नशे में अत्यंत उग्र होकर अन्य लोगों को भी उकसा रहे थे जिससे स्थित बिगड़ रही थी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान भीड़ के कुछ लोगो द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता कर पुलिस आरक्षक सुनील कुशवाहा पर उपर ईट से हमला किया गया, हालात बिगड़ते देख अन्य कोई विकल्प न होने से भीड़ के तितर बितर करने के उद्धेश्य से भीड़ पर हल्का बल का उपयोग कर उन्हे तितर बितर किया गया। भीड़ आसानी से तितर-बितर हो जाने से टीयर गैस चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्षेत्र में अशांति फैलाने का प्रयास करने वालों को चिन्हित कर पुष्टि की जा रही है। वर्तमान समय में केशवाही में पूरी तरह शांति और जनजीवन सामान्य है।

पुलिस ने की अपील

सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले उपद्रवी और असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाइ जाने वाली अफवाहों से दूर रहें। यदि किसी प्रकार की घटना के संबंध में सत्यता जानना है तो जिम्मेदार व्यक्तियों अथवा वास्तविक स्थान पर स्वयं जाकर स्वयं सत्यता की पुष्टि करें।

प्लेटफार्म व ट्रेनों में धड़ल्ले से वेंडर बेच रहे घटिया खाद्य सामग्री

कटनी। रेलवे स्टेशन में खाद्य सामग्री बेचने वाले अवैध वेंडरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में वैध से अधिक अवैध खाद्य सामग्री बेचते नजर आते हैं। प्लेटफार्म नंबर एक से पांच तक आधा सैकड़ा अवैध वेंडर खाद्य सामग्री का विक्रय करते नजर आते हैं। अवैध वेंडरों पर कार्रवाई करने की बजाय जिम्मेदार अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं, यही वजह है कि अवैध वेंडर बेखौफ होकर खाद्य सामग्री बेचे रहे हैं, अवैध वेंडरों द्वारा खाद्य सामग्री बेचे जाने से यात्री सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ है।

सबसे अधिक अवैध वेंडर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक पांच पर रहते हैं। जो यात्रियों को मनमाने दाम पर खाद्य सामग्री बेंचकर उनसे अवैध वूसली कर रहे हैं। प्लेटफार्म क्रमांक पांच के पीछे से अवैध वेंडर ट्रेनों के आने के समय आते हैं और ट्रेन के जाते ही वापस चले जाते हैं। रेलवे द्वारा स्टेशनों में खाघ सामग्री बेचने वाले वेंडर का मेडीकल कार्ड व पहचान पत्र कार्ड बनाया जाता है। इसके अलावा वेंडरों वेरीफिकेशन भी किया जाता है। जिसमें यह पता किया जाता है कि वेंडर का आपराधिक रिकार्ड तो नहीं है। जब ये तीनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसे वैध वेंडर की श्रेणी में माना जाता है। जिनके पास आई कार्ड और मेडीकल कार्ड सहित वेरीफिकेशन नहीं होता वे अवैध वेंडर की श्रेणी में आते हैं। जिनके खिलाफ आरपीएफ को कार्रवाई करने का अधिकार है। आमतौर पर जब स्टेशन में ट्रेन नहीं रहती है तो उस समय अवैध वेंडर कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है तभी आधा सैकड़ा अवैध वेंडर स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं। अवैध वेंडर ट्रेन के दोनों और सामान्य बोगी में खाद्य सामग्री बेचते हैं। अवैध वेंडरों द्वारा खाद्य सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। कभी-कभी तो अवैध वेंडरों द्वारा यात्रियों से अभद्रता तक की जाती है। कार्रवाई के बाद भी स्टेशन में आरपीएफ द्वारा कभी-कभी कभार की जाने वाली कार्रवाई से अवैध वेंडर नहीं डरते हैं। आरपीएफ की कार्रवाई के बाद अवैध वेंडर पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही अवैध वेंडर छूट के आते हैं वे दोबारा रेलवे स्टेशन में खाद्य सामग्री बेचने लगते हैं। लगातार कार्रवाई से ही अवैध वेंडरों पर लगाम लगाया जा सकता है।

ट्रेन के अंदर अवैध वेंडर

रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेनों में 300 से अधिक अवैध फेरीवाले बिना किसी परमिट के सामान बेच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सतना निवासी विष्णु, जबलपुर का प्रदीप और एक अन्य जबलपुरिया युवक इस अवैध धंधे को चला रहे हैं। ये लोग फेरीवालों को चलती ट्रेनों में सामान बेचने का ठेका दे रहे हैं। फेरीवाले स्टेशन के आउटर से ट्रेन में चढ़ते हैं और दूसरे आउटर में उतर जाते हैं। कटनी मुड़वारा स्टेशन से दमोह रूट पर शिवम और आनंद नाम के दो युवक भी अवैध वेंडर चलवा रहे हैं।